

कार्यालय, अंचल अधिकारी, बरकड़ा, हजारीबाग।

आदेश पत्रक

वाद संख्या : 147/..... / 2020-21 2017

लेख्य प्रकार-.....


03/11/2020

अभिलेख का संधारण E-Court (Revenue) में लंबित वाद के विरुद्ध किया गया। उपरोक्त वाद से संबंधित अभिलेख का संधारण वर्ष 2016-17 में किया गया था। कार्यालय के नये भवन में हस्तांतरण के क्रम में अभिलेखक अन्यत्र रख दिये जाने एवं नहीं मिलने के कारण पुनः सृजन किया गया। अपर समाहर्ता, हजारीबाग के पत्रांक-1389/रा0 दिनांक 24.06.2016 के आलोक एवं निर्देशन भू-अर्जन सह विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र सं0-03-खा0म0 नोति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0-914/रा0 दिनांक 19.12.1998 में निहित अनुबंध/निर्देश के अनुपालन में गै0 न0 खास भूमि के विरुद्ध कायम की गई जमाबंदियों को जाँच के क्रम में राजस्व उप नि0 एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नवत् गै0 न0 खास भूमि की जमाबंदी कायम है।

गाँव	खाता	खेतरा	रकबा	जमाबंदीदार	पंजी-2 का
				रैयत का नाम	पृ0सं0/भाग
	<u>कोबहारूड</u>	<u>01</u>	<u>0.29/11</u>	<u>श्री श्री जी.पी. खन्ना</u>	<u>297/I</u>
				<u>पति - श्री 0 सुधीर</u>	

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने उपरोक्त वर्णित जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए प्रतिवेदन दिया है।


अतः संबंधित को संधारित जमाबंदी के विरुद्ध राजस्व दस्तावेज उपस्थापित करने हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 03/11/20 को उपस्थापित करें।


03/11/2020
अंचल अधिकारी
बरकड़ा

03/11/20

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तामिला प्राप्त। झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड के पत्रांक-04/स0भू0 (दिशा-निर्देश)-95/2016-2074, दिनांक-13.05.16 के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में जाँच की गई। जमाबंदीदार रैयतों द्वारा संदेहात्मक जमाबंदी के विरुद्ध भूतपूर्व जमींदार के द्वारा 01.01.1946 से पूर्व का हुकुमनामा, वर्ष 1955-56 से लगायत रसीद, भूतपूर्व जमींदार का Form-M एवं सरकारी स्तर पर किये गये बंदोबस्ती संबंधी किसी प्रकार का दस्तावेज उपस्थापित नहीं किया।

अतः बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) में विहित प्रावधानुसार जमाबंदी सं0 297/I बनाम श्री श्री जी.पी. खन्ना को संदेहात्मक मानते हुए रद्द करने की कोबहारूड की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरहौ को भेजें।


23/11/20
अंचल अधिकारी
बरकड़ा

संविध / संदेहास्पद जमाबंदी गवधी जाँच प्रतिवेदन

1. संविध / संदेहास्पद जमाबंदी स्थल का नाम - **बीबी उमीला खातुन पति बीबी खतुन**

2. जमाबंदी से शायदा भूमि का विवरण - **बॉर खार**

मौजा	खाना स०	खस्ता स०	फरिद स०	रकबा
कोनहार खुर्द	११	१	-	०.२९ स०

3. जमाबंदी पंजी-11 के तालिका संख्या **१** - **पृष्ठ स०- २१७** पर कायम है -

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - **१९८६-८७**

5. खतियान के अनुसार जमाबंदी भूमि का खतियान का नाम - **बॉर खार**

6. किस राशन प्राधिकार / बन्दोबस्तान के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है **आदेश द्वारा नहीं है।**




7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी जमाबंदी द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी से **_____**

8. मूल जमाबंदी कायम कर कायम का प्रकार (अविधित याद हुकुमदारी) कायम निर्धारण / अवधि भूवदायरी - **_____**

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच में जमाबंदी अधिकारी से की गई श्रुति / जाँच दायित्व रिपोर्ट / बन्दोबस्तान कायम निर्धारण पंजी-11 में **पंजी-11 से**

10. संदेहास्पद जमाबंदी में जाँच के दौरान **_____**

क्र० संख्या	लगान रकम	जाँच तिथि	वर्ष
	8648866	1/10/09	२००८-०९


 **23/11/09**


संविध / अवैध जमाबन्दी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला
चेक लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - हनुमानगढ़ जिल्ला अंचल
 2. क) अवैध जमाबन्दीदार का नाम- वीवी जमील खान
 ख) अवैध जमाबन्दी की भूमि की विवरणी-

नं.जा	धाना सं०	खाता सं०	खसरा सं०	रकबा	खातियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7
<u>कान्हा</u> <u>खुस</u>	<u>99</u>	<u>01</u>	<u>-</u>	<u>0.29</u> <u>खस</u>	<u>गैर खान</u>	

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप- गिरा
 4. अवैध जमाबन्दी पंजी ॥ में कब से संघारित है- 1986-87
 5. उक्त जमाबन्दी पंजी ॥ में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम- मोसा रजगी है।
 (पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संघारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें।
 6. नामान्तरण/दाखिल -खारिज उपरान्त संघारित जमाबन्दी X
 के नामलों में मूल जमाबन्दी रकब की विवरणी-
 7. अवैध जमाबन्दी कायम किये जाने का आधार
 i) अनिर्दिष्ट सादा हुकुमनामा X
 ii) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद सं० एवं पारित आदेशानुसार) नहीं
 iii) अवैध नू-बन्दावस्ती (वाद सं० के साथ) X
 8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथाकथित सादत पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य नहीं
 (100/- रुपये कम या इससे अधिक)
 9. अवैध जमाबन्दी की जांच किस राजस्व अभिलेख से की गई है:- X
 i) भूत पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से -
 ii) अंचल / अनुमंडल में संघारित बन्दावस्ती पंजी से - नहीं
 iii) दाखिल-खारिज/नू-हस्तांतरण/नामान्तरण पंजी से - नहीं
 10. क) अवैध जमाबन्दी क्या दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम है? नहीं
 11. क्या दिनांक दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? नहीं
 12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड बुझारत पंजी में देखल कब्जा अवैध जमाबन्दीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? नहीं
 13. राजस्व कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित- अभी तक जांच खोजी गयी नहीं है।
 14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जांचोपरान्त नन्वय सहित स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। अभी तक जांच खोजी गयी नहीं है।

अंचल अधिकारी भूमि सुधार उपसमाहर्ता अनुमंडल पदा० अथवा समाहर्ता उपसुक्त